बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–132/2019 - 6287 /पटना, दिनांक–02/12/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Arwal	Bansi Surajpur	Karpi Barah Mile Road To Jhikatiya	0.917	17.46800	9.16500	1.74680	28.37980
2	Arwal	Arwal	Aurangabad To Ismailpur (Aslanpur)	0.610	13.08300	6.15200	1.30830	20.54330
3	Arwal	Karpi	Abgila To Rampur	1.370	28.73800	14.06300	2.87380	45.67480
4	Arwal	Arwal	Baidrabad Belkhara Road To Harna	0.800	16.26600	7.91700	1.62660	25.80960
5	Arwal	Arwal	Balidad Parasi Road To Saidpur Road	0.900	18.83000	9.02000	1.88300	29.73300
6	Arwal	Arwal	Baidrabad Belkhar Road To Nisarpur Sarwar	0.870	16.95600	8.69400	1.69560	27.34560
7	Arwal	Arwal	Parasi me Machli (Fish) Bazar To Dakshin (South) Janewale Rasta	0.600	9.15900	5.27100	0.91590	15.34590
8	Arwal	Arwal	NH-98 (139) Gandhi Pustakaly To Parastavirt Vehwar Nayalay Parisar Tak	1.200	18.70700	10.86000	1.87070	31.43770
9	Arwal	Arwal	Main Nahar Road Pipra To Tejpur Tak Path Nirman	0.900	14.12600	8.14100	1.41260	23.67960
10	Arwal	Arwal	Mahua Bagh To Main Road Baidrabad Via Malahipatti	1.400	24.37800	13.33200	2.43780	40.14780
11	Arwal	Kaler	NH-139 To Bodh Bigha	0.450	9.12700	4.58700	0.91270	14.62670
12	Arwal	Kaler	Kaler To Girver Bigha	2.050	37.26400	20.57800	3.72640	61.56840

28/11/19

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Arwal	Kaler	Mainpura To Belaon Road	2.300	46.64600	22.93800	4.66460	74.24860
14	Arwal	Kaler	Parasi To Bishunpura	1.000	13.24100	8.93900	1.32410	23.50410
15	Arwal	Karpi	NH-110 To Angari Chakiya Via Majidpur- Kansar	1.880	36.49400	18.76800	3.64940	58.91140
16	Arwal	Kaler	L034- Simbhua To Hirdai Chak	4.000	70.13500	37.53000	7.01350	114.67850
17	Arwal	Kaler	Niranjanpur To Kamta	3.000	84.91800	30.62800	8.49180	124.03780
18	Arwal	Kaler	Usari Se Goind Via Chakiya Khaira Path	3.500	58.59700	33.84800	5.85970	98.30470
19	Arwal	Bansi Suryapur	Pondil To Khantangi	5.500	97.82100	54.97600	9.78210	162.57910
20	Arwal	Karpi	Shantipuram To Ganiyari	2.520	49.03400	25.71500	4.90340	79.65240
	Total			35.767				1100.20880

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, अरवल** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019 15.07.2019, 05.09.2019 एवं 24.10.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–23.11.19 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–132/2019 में** अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

28/11/19

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–132/2019 के पृ0–21/टि0 पर दिनांक– 27.11.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
28/11/19
(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–132/2019 –6287 /पटना, दिनांक–02/12/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/19
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–132/2019 –6287 /पटना, दिनांक–02/12/19
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **मगध**/जिला पदाधिकारी, **अरवल**/उप विकास आयुक्त, **अरवल**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **औरंगाबाद**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **अरवल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/19
अपर सचिव